

IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to श्री संजय बड़ाईक

S/O, W/O, D/O स्व० जगदीश बड़ाईक

Village: सिमडेगा हरिजनटोली

P.S सिमडेगा District Simdega to transfer the following land to

Sri एडिसन केरकेट्टा

S/O, W/O, D/O स्व० डेविड पास्कल केरकेट्टा

Village: सिमडेगा बुधराटोली

P.S: सिमडेगा

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated.....

in Rev, C.N.T. case No 49 of 2020-21

U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area (in acies)	Value for Sale
सिमडेगा	सिमडेगा	116	50	510	0.02 $\frac{1}{2}$ ए०	2,50,000.00

(दो लाख पचास हजार रु० मात्र)

भूमि की चौहदी:

उत्तर – इसी प्लॉट का अंश

दक्षिण – दोन हीरामनी लुगुन

पूरब – दोन हीरामनी लुगुन

पच्चिम – पक्का सड़क

Sd.....

L.R.D.C. Simdega

Memo No...../Rev. Dated (Simdega the.....2021.....)


Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri श्री संजय बड़ाईक,

S/O, W/O, D/O स्व० जगदीश बड़ाईक

Village: सिमडेगा हरिजनटोली

P.S: सिमडेगा

For Information and needful



L.R.D.C. Simdega

1/4/21

888  
10/11/21

न्यायालय, भूमि सुधार, उप समाहर्ता, सिमडेगा  
अनुमति वाद सं० 49/2020-21

श्री संजय बड़ाईक ..... आवेदक  
वनाम  
झारखण्ड सरकार ..... विपक्षी

आदेश

आवेदक संजय बड़ाईक, पिता स्व० जगदीश बड़ाईक, ग्राम-सिमडेगा हरिजनटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बिक्री हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरण:-

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा
सिमडेगा	सिमडेगा	116	50	510	0.02 $\frac{1}{2}$ ए०

कुल रकबा (ढाई डिसमिल) मात्र।

आवेदक अपनी खतियानी जमीन को गृह निर्माण हेतु प्रस्तावित क्रेता-श्री एडिसन केरकेट्टा, पिता स्व० डेविड पास्कल केरकेट्टा, ग्राम-सिमडेगा बुधराटोली, थाना-सिमडेगा, जिला-सिमडेगा (जाति चीक बड़ाईक) को बिक्री कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 203(ii) दिनांक 06.03.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं, जो अभिलेख में संलग्न हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है, न ही अंचल अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार का विवाद का आपत्ति के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खतियानी भूमि है। प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत जंगली चीक वल्द बुधा चीक है। वर्तमान जमाबंदीदार खाता सं०-50 संतु चीक वो नरेश चीक वो कलेहवर चीक वल्द कृपाल चीक वो संजु चीक वो मान्दु चीक वगै० के नाम से दर्ज है। मालगुजारी आवेदक एवं संतु चीक वगै० के द्वारा दिया जाता है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति चीक बड़ाईक एवं खड़िया जाति के सदस्य हैं, तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि बिक्री के पश्चात आवेदक के पास 2.06  $\frac{1}{2}$  एकड़ भूमि शेष बचता है।

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात में खतियान एवं, लगान रसीद, जाति प्रमाण पत्र संख्या-जे०एच०सी०एस०टी०/2020/69415 दिनांक 04.06.2020/स्थानीय प्रमाण पत्र संख्या-जे०एच०आर०सी०/2017/1104718/दिनांक 07.08.2017 एवं आधार संख्या 555515788427 की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न हैं। क्रेता की ओर से जाति प्रमाण पत्र संख्या जे०एच०सी०सी०/2017/1134443 दिनांक 01.09.2017/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संख्या-जे०एच०आर०सी०/2017/869893/दिनांक 08.07.2017 एवं आधार संख्या 840111052362 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी प्रस्तुत किया है, जो अभिलेख में संलग्न हैं।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मौजा-सिमडेगा, थाना न०-116 थाना सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं०-50 प्लॉट संख्या 510 रकबा 0.02  $\frac{1}{2}$  ए० जमीन को गृह निर्माण हेतु क्रेता- श्री

प्रमाण

प्रमाण

प्रमाण

U

# कार्यालय, अंचल अधिकारी सिमडेगा

पत्रांक 203(11)/110

दिनांक 06/03/2021

अनुमंडल प्रसाधिकारी, सिमडेगा / भूमि सुधार उपसमाहर्ता सिमडेगा।

विषय :- छोदानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

प्रसंग :- अनुमति वाद संख्या 49 तद 2020-21

## 1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

1) क - आवेदक (हस्तान्तरण कर्ता) का नाम  
पिता का नाम/पूरा पता  
ख - जाति

: श्री खंजम बसईक पिता- स्व. जगदीश बसईक ।  
: ग्राम- सिमडेगा हरिजन डोली, थाना- सिमडेगा ।  
: चीक- बसईक (अ-ज-जा)

2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध :

: जंगली चीक बन्द बुधा चीक कौम-चीक  
शाकीन जंगम डोली ।

3) जमीनदारी किलियन के पश्चात उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या तथा जमाबन्दी वार का नाम :

रदेव

4) वर्तमान जमाबन्दी संख्या / जमाबन्दी वार का नाम :

: खंजम चीक वी नरेम चीक के कलेखल चीक बन्द बुधा  
50 कुषाल चीक को सजु चीक को मान्यु चीक वमरुए

5) वर्तमान जमाबन्दीदार को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ :

: आवेदक एवं खंजम चीक वमरुए

6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम :

: खंजम

7) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा

: दो हिस्सेदार  
: आवेदक का हिस्सा है।



8) क्या आवेदक बड़े भू धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरुद्ध लैंड शिलिंग का केश है :

: नहीं ।

9) क- क्या उक्त जमीन भूदान की है :

: नहीं ।

ख- लैंड शिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित हैं :

: नहीं ।

91) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य :

: मान्य खाने एवं अन्य खेतों के लिए है।

92) जमीन का किस्म एवं व्योरा

: ग्राम/थाना सं- सिमडेगा/116  
खाला सं- 50  
लोट सं- 510  
रकबा - किल 0.02 1/2  
किल 1/2  
किल 1/2  
आवासीय

93) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो

: 85,000/-

94) जमीन का वर्तमान मूल्य

: 2,50,000/-

95) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि

: 209 एकड़

96) बिक्री के वाद शेष भूमि

: 207 एकड़

प्रधान लिपिक

Handwritten signature and official stamp.



## Government of Jharkhand

### Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3c2e7ec563ad22d797b3

Receipt Date : 28-Jun-2021 12:13:37 pm

Receipt Amount : 11000/-

Amount In Words : Eleven Thousands Rupees Only

Token Number : 20210000059160

Office Name : SRO - Simdega

Document Type : Sale Deed

Payee Name : ADISAN KERKETTA ( Vendee )

GRN Number : 2106151556



:- For Office Use :-



इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस रसीद के मध्यम से पूर्व में किसी भी प्रकार से भुगतान नहीं किया गया है।

464/2021  
 1899

25 I A with the  
 permission by L.R.D.C.  
 Simdega vide order no. 49/2021

order  
 dt.  
 21.7.2021



विक्रय-पत्र

1. लेख्यकारी :- श्री संजय बड़ाईक, पिता स्व० जगदीश बड़ाईक,  
 जाति - चीक, बड़ाईक, पेशा - खेतीबारी, निवास  
 ग्राम- सिमडेगा हरिजन टोली, थाना - सिमडेगा,  
 जिला - सिमडेगा।

.....विक्रेता।

आधार नं० - 5555 1578 8427

शपथ पत्र संख्या 169- /2021

लेख्य कर, ईडी  
 24-6-2021

2. लेख्यधारी :- श्री एडिसन केरकेट्टा, पिता स्व० डेविड पास्कल  
 केरकेट्टा, जाति - खड़िया, पेशा - व्यवसाय, निवास  
 ग्राम - सिमडेगा बुधरा टोली, थाना - सिमडेगा,  
 जिला - सिमडेगा। भारतीय नागरिक

.....क्रेता।

आधार नं० - 8401 1105 2362

शपथ पत्र संख्या 170- /2021

श्री संजय बड़ाईक  
 पिता श्री संजय बड़ाईक  
 गांव - सिमडेगा, बंगलम रोमा  
 थाना - सिमडेगा जिला - सिमडेगा  
 24-6-2021

3. लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक  
 हमेशा के लिए बिक्री होता है।

4. मूल्य :- मोबलिग दो लाख पच्छत्तर हजार रुपये मात्र अंके  
 2,75,000/- रुपये मात्र है।

अंचल द्वारा उपरि उल्लेखित पत्रबोधित  
 की शर्तों के तहत पक्ष का लक्ष्य  
 एवं उद्देश्य पूर्ण है।

5. सम्पत्ति :- एराजियात खतियानी कायमी व्यवसायिक जमीन वाके मौजा - सिमडेगा, थाना - सिमडेगा, थाना नं० 116, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला - सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं० 50 (पचास) प्लॉट नं० 510 (पाँच सौ दस) रकबा 0.02½ एकड़ (ढाई डिसमील), जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- इसी प्लॉट का अंश,  
दक्षिण :- दोन हीरामनी लुगून,  
पूरब :- दोन हीरामनी लुगून,  
पश्चिम :- पक्का सड़क।

सम्पत्ति  
24-6-2021

कुल एक खाता का एक प्लॉट कुल रकबा 0.02½ एकड़ (ढाई डिसमील) जिसका मालगुजारी 0.02 रूपया (दो पैसा) अलावे शेष सलाना। वर्णित विक्रित जमीन किसी प्रकार मकान या निर्माण अथवा पेड़ पौधा नहीं है जो नगर परिषद सिमडेगा के वार्ड नं० 12 अन्तर्गत है जिसका हॉल्लिडिंग संख्या 012000042300M0 है।

उपरोक्त विक्रीत वर्णित जमीन मेरे द्वारा पूर्व में किसी अन्य को विक्री नहीं किया गया है।

(1) चूंकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं अन्य घरेलू खर्च हेतु रूपयों की आवश्यकता पड़ी और इस समय बिना जमीन बेचे रूपये मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर मैंने उपरोक्त लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना किया। जिसे उन्होंने ऊपर वर्णित मूल्य पर खरीदना स्वीकार किया।

(2) अतः तन एवं मन की स्वस्थता में रहकर ऊपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ ऊपर वर्णित मूल्य नगद कीमत चुकता पाकर बेचा वो बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया। अब से बेची गई जमीन पर मेरा कोई हक सरोकार नहीं रहा और न मेरे किसी

2/ - कृतम 2017 मासिक रिपोर्ट पत्र  
के मिलान रिपोर्ट वसुधैव कुटुम्बकम् U. Com  
का यह प्रमाण है।  
Dr. P. V. K. S.  
08/07/2021

सम्पत्ति  
24-6-2021  
पिता 200 रूपयों का  
2017 - डिसेंबर दिनांक  
2017 + पिता. विमर्श  
24/6/2021

उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपरोक्त विक्रीत वर्णीत जमीन हमारी खतियानी जमीन है जो रिविजनल सर्वे में जंगली चीक के नाम से खतियान में काएमी दर्ज है। तथा लगान पाने वाले का नाम मैनेजर इनकम्बर इस्टेट मीन जानीब टिकैत शीरीनिवास हुकूम सिंह देव है। है। खतियानी रैयत जंगली चीक मेरे परदादा के पिता थे। उनकी मृत्यु के बाद एकमात्र उत्तराधिकारी कृपाल चीक उक्त जमीन पर उत्तराधिकारी के रूप में दखलकार हुआ। कृपाल चीक की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच खतियानी जमीनों का आपसी भैयादी मौखिक बटवारा हुआ है तथा आपसी भैयादी मौखिक बटवारों में उक्त जमीन कृपाल चीक के पुत्र मनतू चीक को मिली। जिसपर उसका शान्तिपूर्ण दखल वो कब्जा रहा है। मनतू चीक की भी मृत्यु हो गयी तथा उनकी मृत्यु के बाद उनका एकमात्र उत्तराधिकारी जगदीश बड़ाईक उक्त जमीन पर शान्तिपूर्ण उत्तराधिकारी के रूप में दखलकार हुए। जगदीश बड़ाईक मेरे पिता थे। पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के बाद मैं उनका एकमात्र उत्तराधिकारी उक्त जमीन पर शान्तिपूर्ण दखलकार हूँ। उक्त विक्रीत जमीन मौजा सिमडेगा के पंजी II के भोल्युम 1 के पृष्ठ सं० 50 में जंगली चीक के नाम से जमाबन्दी कायम है जंगली चीक मेरे परदादा के पिता थे तथा अद्यतन मालगुजारी अदा कर मालगुजारी रशीद प्राप्त है। उक्त जमीन पर किसी तरह का झगड़-झंझट या भार-देन नहीं है।

(4) चूँकि हम उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप समाहर्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 49/2020-21 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 01.04.2021 को प्राप्त हुई जिसका मेमो नं० 70(ii)/रा० दिनांक 01.04.2021 है।

(5) अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिए अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय में अपने नाम पर

संजय ७११६७  
२५-६-२०२१

आंसम विन्डु समु  
पिता - खपतरस समु  
जाम - सिमडेगा नगर टोला  
ना + जिला - सिमडेगा।

दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से ब-अदाय मालगुजारी रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

(6) इसलिए यह विक्रय केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

मैं, घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हदबन्दी, कैशरे-हिन्द, खासमहल, भू-दान, सैरात, लीज, आम गैर मजूरूआ से सम्बन्धित नहीं है।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

संजय बड़ाईक  
24-6-2021




प्रमाणित किया जाता है कि संजय बड़ाईक ने अपने बायें हाथ के पाँचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष दिया।

Arum Umesh Turkey  
Advocate  
24-6-2021

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Adisano Kherath  
24/6/2021



प्रमाणित किया जाता है कि एडिसन केरकेठा ने अपने बायें हाथ के पाँचों अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष दी।

Arum Umesh Turkey  
Advocate  
24. 6. 2021

संजय बड़ाईक  
24-6-2021



उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

सही / - *Arun Umesh Tiskey* =

अरुण उन्मेष तिर्की, अधिवक्ता  
(प्रारूपकर्ता)

तारीख :- 24.6.2021

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल 5 पृष्ठों में कुल 971 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित है।

संजय क. 123  
24-6-2021

टंकक

*अविनाश कुजूर*

24-6-2021

अविनाश कुजूर  
सिमडेगा।

अनुलग्नक :-

1. बिक्रेता का आधार कार्ड का छायाप्रति,
2. क्रेता का आधार कार्ड का छायाप्रति,
3. पहचानी गवाह का आधार कार्ड का छायाप्रति,
4. गवाह का आधार कार्ड का छायाप्रति,
5. परमिशन शेड्यूल का मूल प्रति,
6. परमिशन रिपोर्ट एवं आदेश का सच्ची प्रतिलिपि,
7. खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति,
8. मालगुजारी रसीद का छायाप्रति,
9. मिलेज मैप का छायाप्रति,
10. ट्रेस मैप का मूल प्रति,
11. फारम नं० 1 का मूल प्रति।